न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अर्पिता सोनी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: अपील / 24 / 2020 दायरा दिनांक: 24.06.2020

GCMS NO- 2022/110

आसाराम पुत्र नानकराम जाति मोची निवासी वार्ड नं0 31 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0

(अपीलांटस)

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधी राजस्थान सरकार

(रेस्पोडेंटस)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

1. श्री भगवानदत शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज

:: निर्णय :: दिनांक:– 08.11.2023

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2020 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट को रोही सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 259, 260 में 6.300 हैक्टयर भूमि आरजी रूप से आवंटन हुई थी, जो उस वक्त उपनिवेशन विभाग मे थी और बाद मे यह भूमि राजस्व विभाग के अधीन आ गई और उक्त विभाग के नियमानुसार अनअधिवासित कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत शास्ति होने से नियम 18 के अन्तर्गत जिसके पास 2001 तक आवंटन बदस्तुर था और कब्जा था उसको यह भूमि खातेदारी हुई माने जाने योग्य थी व भू0 राजस्व में आने पर वह खातेदारी सनद पाने का अधिकारी था। उक्त नियमों में आवंटित भूमि, बाद आवंटन 3 वर्ष खातेदारी माने जाने योग्य के न्याय निर्णय माननीय राजस्व मंडल ने भी किये है। उपनिवेशन एवम् राजस्व विभाग में आवंटित भूमि को निरस्त करने के अधिकार तहसीलदार को कतई नही हैं। यदि आवंटित भूमि निरस्त की गई हैं तो उसका प्रभाव अपीलांट के हितों पर शून्य हैं। मूल आदेश के विरूद्ध अपील अलग से चल रही हैं जो अंतिम अवस्था में हैं, जिसका ज्ञान भू0धारी को भी हैं। समस्त तथ्यों का ज्ञान होते हुऐ भी अपीलांट को अतिचारी माना जाना कतई नियम विरूद्ध है। अपीलांट को ना केवल अतिचारी गैर कानूनी रूप से माना गया बल्कि उसकी खडी फसल को कुर्क कर नीलाम करने के आदेश दिये गये, जबकि कानूनी रूप से अपीलांट को अतिचारी घोषित करने के बाद फसल उठाने का समय दिये जाने का आज्ञा पालक प्रावधान हैं। अपीलांट के विरूद्ध आदेश पालना किये जाने योग्य नही है, बल्कि काबिल निरस्ती के हैं। अपीलांट बाद निरस्ती आदेश आरजी काश्त भूमि पर काबिज है। आरजी काश्त भूमि निरस्ती के आदेश की अपील अन्तिम अवस्था में है, इससे पूर्व अपीलांट को बेदखल किया जाना अनुचित है, अतः जैरअपील आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान दत्त शर्मा हाजिर आये। राज पैरोकार हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट को जैर अपील आदेश दिन[illegible]20 को नही सुनाया गया, मात्र हस्ताक्षर करवाये गये। अपील के समयावधि में ही मार्च में को[illegible] की [illegible]से लॉकडाउन हो गया व अपीलांट 65 वर्ष से अधिक आयु का होने के कारण तहसील नही आया [illegible] को तहसील से पता किया तो जैर अपील आदेश का ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही [illegible] आवेदन किया व दिनांक 22.06.2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:16:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

810

Scanned with OKEN Scanner

नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर रहा हूँ देरी का कारण प्राकृतिक है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि देरी को माफ फरमाया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें।

पैरोकार राज ने उक्त प्रार्थना पत्र का ना तो कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर कोई आपत्ति जाहिर की। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओ के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को रोही सूरतगढ के खसरा नम्बर 259, 260 में 6.300 हैक्टयर भूमि आरजी रूप से आवंटन हुई थी, जो उस वक्त उपनिवेशन विभाग मे थी और बाद मे यह भूमि राजस्व विभाग के अधीन आ गई और उक्त विभाग के नियमानुसार अनअधिवासित कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत शारित होने से नियम 18 के अन्तर्गत जिसके पास 2001 तक आवंटन बदस्तुर था और कब्जा था उसको यह भूमि खातेदारी हुई माने जाने योग्य थी व भू0 राजस्व में आने पर वह खातेदारी सनद पाने का अधिकारी था। उक्त नियमों में आवंटित भूमि, बाद आवंटन 3 वर्ष खातेदारी माने जाने योग्य के न्याय निर्णय माननीय राजस्व मंडल ने भी किये है। उपनिवेशन एवम् राजस्व विभाग में आवंटित भूमि को निरस्त करने के अधिकार तहसीलदार को कतई नही हैं। यदि आवंटित भूमि निरस्त की गई हैं तो उसका प्रभाव अपीलांट के हितों पर शून्य हैं। मूल आदेश के विरूद्ध अपील अलग से चल रही हैं जो अंतिम अवस्था में हैं, जिसका ज्ञान भू0धारी को भी हैं। समस्त तथ्यों का ज्ञान होते हुऐ भी अपीलांट को अतिचारी माना जाना कतई नियम विरूद्ध है। अपीलांट को ना केवल अतिचारी गैर कानूनी रूप से माना गया बल्कि उसकी खडी फसल को कुर्क कर नीलाम करने के आदेश दिये गये, जबकि कानूनी रूप से अपीलांट को अतिचारी घोषित करने के बाद फसल उठाने का समय दिये जाने का आज्ञा पालक प्रावधान हैं। अपीलांट के विरूद्ध आदेश पालना किये जाने योग्य नही है, बल्कि काबिल निरस्ती के हैं।

जवाब में पैरोकार राज ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 24.02.2020 विधिसम्मत है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया तथा जिससे पाया न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 75/2015, अनवान आशाराम बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 30.03.2022 को निर्णय किया जाकर, अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय (भू.अ.) सूरतगढ़ के मिसल संख्या 19/2006 में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2006 निरस्त किया जा चुका है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थी को नोटिस की प्राप्ति दी गई, ऐसा परिलक्षित नहीं हुआ है, जबकि न्यायहित में सुनवाई का अवसर देना नैसर्गिक न्याय का आवश्यक तत्व है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.02.2020 जिसके द्वारा तहसील सूरतगढ़ के कस्बा सूरतगढ के मू0 नं0 259, 260 में 6.300 है0 पर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई, निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2023 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:16:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner